

RAO BIRENDRA SINGH : Subsidies and all inputs are being given.

श्री सत्यनारायण जटिया : छोटे किसानों को कितना अनुदान मिल रहा है ?

SHRI B. V. DESAI : The hon. Minister was pleased to state that in 1979-80 there was an increase of 2.7 per cent in the growth rate. That is, consumption was 52.56 lakh tonnes. In 1980-81 the increase was 4.9 per cent raising the total consumption to 55.16 lakh tonnes. May I know the subsidy element per tonne of nitrogenous fertilizer so far as consumption is concerned ? My question is regarding the the subsidy portion on nitrogenous fertilizer.

RAO BIRENDRA SINGH : Sir, as regards the consumption, the hon. Member is right when he says that the growth rate in fertilizer has come down after 1978-79. That was mainly on account of drought. If he wants to know the subsidy element only on nitrogenous fertilizer, I do not have the exact figure, but since urea represents about 47 per cent of the total fertilizer that is consumed in the country he can have a rough idea of the subsidy if he knows about the total subsidy on fertilizers

लोक सभा और राज्य सभा के संसद सदस्यों को प्लॉटों/फ्लैटों का आबंटन

+

308. श्री रakesh कुमार सिंह :

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या निर्माण और आवास मंत्रों यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भूतपूर्व सरकार ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि उन सभी संसद सदस्यों (लोक सभा तथा राज्य सभा) को जिन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लॉटों/फ्लैटों के आबंटन के लिए 1975, 1976, 1977 अथवा 1 जनवरी 1978 तक (बूवेजा समिति की

रिपोर्ट को लागू करने से पूर्व) अपने नाम पंजीकृत करवाए थे तुरन्त प्लॉट/फ्लैट आबंटित किए जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो कितने संसद सदस्यों को अब तक प्लॉट/फ्लैट आबंटित कर दिए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) :

(a) The reservation for M.Ps. for allotment of plot/flat by DDA was abolished on the recommendations of the Baweja Committee with effect from 2nd January, 1979 (and not from 1-1-78). No specific assurance appears to have been given by the previous Government but it has already been decided to give the benefit of reservation which held good, before the cut-off date i.e. 2nd January, 1979 to the persons who were M.Ps. on or before that date and had completed all formalities (including the deposit of earnest money) for the allotment of plot/flat before the aforesaid date.

(b) Plots—6r

Flats—54

(c) Does not arise.

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या यह सही है कि कुछ प्लॉट्स की एलाटमेंट फार्मर-एम0 पीज को हुई थी लेकिन उन में से अधिकांश विरोधी पक्ष के कैंडिडेट्स को दिए गए, साथ ही कुछ कांग्रेसी संसद सदस्य को एलाटमेंट की गई है जो इरेग्यूलर को गई है। इस लिए मैं जानना चाहता हूँ कि जो 61 प्लॉट्स और 54 फ्लैट्स आप ने बताये हैं—क्या 61 प्लॉट्स वालों के नामों की सूची आप बतला सकेंगे या सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे ?

1979 में कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि— Priority allotment should not be done except in the case of Harijans, Scheduled Castes and Tribes, widows and physically handicapped.

इन में से कितने लोगों को आप ने प्रीयोरिटी ब्रेकिंग पर अभी तक प्लॉट्स आवंटित किए हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Sir, it is not correct that the names of some people belonging to the Opposition group have been removed from the list and others have been included. This is not correct. But according to the Baweja Committee's Report the cut-off date has been fixed as 2-1-1979 by which time the reservations to various categories have been abolished and only reservations for Scheduled Castes and handicapped will continue. So there is no hanky-panky about it and nothing irregular has been done. There is a long list of persons. If the hon. Member wants it, I would like to read.

MR. SPEAKER : Give it to him.

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय 1979 में 1 लाख 75 हजार लोगों ने डी० डी० ए० के पास रजिस्ट्रेशन कराया था जिस के अन्तर्गत 30 करोड़ रुपये उन्होंने आप के पास जमा कराये। प्रब्लिक एकाउन्ट्स कमिटी की रिपोर्ट में उल्लेख है कि आप ने 22 करोड़ रुपये एक्स खर्च किये, जिस के लिए आप ने पार्लियामेंट से एप्रुवल भी नहीं ली। इतना होने के बाद भी जैसा आप ने कहा था कि पहले वर्ष 20 हजार लोगों को प्लॉट्स आवंटित करेंगे, वे

प्लॉट्स या फ्लैट्स अभी तक आवंटित नहीं किए गए। उसके बाद 40 हजार प्रति वर्ष देने के लिए आप ने कहा था। मैं जानना चाहता हूँ—15 महीने की अवधि के बजाय 30 महीने निकल गये इतनी देर क्यों हुई या ज़रूरी पैसा और मैटीरियल एशियन्ज गेज के लिए स्टैडियम्स बनाने पर लगाया जा रहा है ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: This main question relates only to the allotment of plots and flats to M.Ps. If he wants an answer to his question he may give a separate question.

SHRI R. L. BHATIA : From the years 1971 and 1977 many Members of Parliament have applied for plots. When elections took place all those applications were pending. May I know from the hon. Minister the fate of those applications ? Will those be considered ? Will they be given plots now on the basis of their earlier applications ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: So far as allotment of plots and flats to M.Ps. is concerned, a certain percentage was reserved out of the total construction of houses every year. 5% was being allotted to Members of Parliament, Metropolitan Council Members and Cantonment Members. Out of this 5%, three percent was allotted to Members of Parliament both plots and flats. This 3% allotment was being done on the basis of draw of lots. Those who were successful at the time of draw, only those Members of Parliament have been given till the cut off year. Baweja Committee has recommended the abolition of this quota for Members of Parliament. Those who have not been successful by then could not be considered as the scheme has been abolished.

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : अभी बताया गया कि कट आफ इधर 1979 तक जिन्होंने एप्लीकेशनस दे दी थीं उनको 5 परसेंट या 3 परसेंट के हिस्सा से एलाटमेंट किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो सन् 1980 में इलेक्ट हो कर एम० पीज आए हैं, उनको क्यों इससे बंचित किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय उनको क्यों महकूम रखा जा रहा है। यह कहना आपका है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : जो प्रिविलेज 1979 तक के इलेक्टेड एम० पीज को हासिल है उससे सन् 1980 में एलेक्टेड एम० पीज को क्यों बंचित रखा जा रहा है और क्या ऐसा कोई प्रोविजन बनाया जाएगा कि उनको भी यह हक दिया जाए और अगर हम कोअपरेटिव बना लें तो क्या आप एलाटमेंट का इन्ताजाम करेंगे?

SHR. IP. VENKATASUBBAIAH:
As I have said cut off date.

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण
सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री
(राव वीरेन्द्र सिंह) : यह कट आफ
डेट क्या है?

श्री मलिक एम० एम० ए० खां :
कट आफ डेट क्या होती है?

श्री पी० बंकटसुबब्या : मैं बता रहा
हूँ राव वीरेन्द्र सिंह जी।

As I have said cut off date-
is not of abAssam's problem It
is fafor otment of plots and flats

for Members of Parliament—Lok Sabha and Rajya Sabha. A committee was appointed to go into the entire question of reservation of plots and flats. The Committee under the Chairmanship of Shri Baveja has said the reservation has gone upto more than 90%. This reservation has to be abolished. It is to be confined only to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and handicapped persons.

श्री मलिक एम० एम० खां : हम काअपरेटिव बना लें, तो आप हमें जमीन एलाट करेंगे। स्पीकर साहब, आप हमारी मदद कीजिए। . . . (व्यवधान) . . .

श्री डी० पी० यादव : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये बावेजा साहब कौन हैं, बावेजा महोदय कौन हैं? मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट की आवश्यकताओं को एकजामिन करने के लिए पार्लियामेंट की कमेटी होनी चाहिए हम बावेजा कमेटी पर भरोसा नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट के सदस्य सदस्य चाहे राज्य सभा के हों या लोक सभा के हों, उनको आप 210 गज जमीन नहीं दे सकते। नाच घर खोलने के लिए जमीन है, होटल खोलने के लिए जमीन है।

MR. SPEAKER : Please put a question.

SHRI D. P. YADAV : It is a very important question.

बहुत शारे ऐसे अफसर हैं जिन्होंने अपनी बीबी के नाम से जमीन ले रखी है, अपने बच्चों के नाम पर जमीन ले रखी है, अपने नाम से जमीन ले रखी है और बहुत से ऐसे मिनिस्टर हैं

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिए।

श्री डी० पी० यादव : बहुत से ऐसे मिनिस्टर हैं, जिनके पास एक-एक एकड़

जमीन है और हम लोग जो यहां सदस्य हैं, उन को 210 गज जमीन भी नहीं मिलती। आप काआपरेटिव सोसाइटी बनने नहीं देते और मंत्री जी मुलाकात करने से घबराते हैं। और तो और लेफ्टीनेंट गवर्नर से भी संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है। अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पार्लियामेंट के मेम्बरों को किसी बावेजा कमेटी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा सवाल पूछिये कि क्या कमेटी हटा कर दूसरी कमेटी बनायी जाएगी ?

श्री डी० पी० यादव : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बावेजा कमेटी को हटा कर कोई इसके लिए दूसरी कमेटी मेम्बर आफ पार्लियामेंट की बनायेंगे या नहीं ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : "Baweja Gawaja". I do not know. The Baweja Committee submitted their recommendations to the previous Government, the Janta Government, and they accepted the recommendations of the Committee. Even according to the Committee, he has classified certain sections to be brought under reservation....

MR SPEAKER : Whether you prepared to appoint a new parliamentary committee.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : As regards constituting cooperative societies for getting land for MPs and that is what our friends has been trying to impress open the Government, this is a matter to be considered. It is a suggestions that has been given. The Government will certainly consider a reasonable suggestions made by hon. Members so that they may not be put to difficulties in the matter of accommodation.

अध्यक्ष महोदय : आप तो 210 गज जमीन की बात करते हैं, मैं तो समझता हूँ कि दो गज जमीन भी न मिली...

श्री हरीश कुमार गंगवार : यह जो एम० पीज के लिए रिजर्वेशन थी और लिस्ट बनी थी उन्होंने पैसा जमा कराया था, 15-15 हजार रुपये जमा कराये थे तो अब स्कीम कौंसिल हो गयी तो उस पैसे का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए दूसरा सवाल दीजिए।

देसी घी के मूल्य में वृद्धि

309. श्री तारिक अन्वर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "देशी" घी के मूल्यों में अचानक वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने अपने "देशी" घी (डी० एम० एस० घी) की कीमत में वृद्धि की है, और ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इसकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं और इस बारे में सरकार द्वारा और आगे क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN) : (a) The production and marketing of desi ghee is largely in the hands of private trade. It is not subject to price control. The increase in prices of desi ghee appears to have been influenced by the seasonal fall in the availability of raw-milk in summer months and by the behaviour of the prices of edible oils.

(b) Yes, Sir. However, the DMS has an insignificant share in the desi ghee market and its price is still the lowest as compared to the price of other brands of ghee.

(c) In view of answers to parts (a) and (b) this does not arise.